-प्रेस नोट-

दिनांक: 27/05/2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा मुठभेड के दौरान 03 शातिर ट्रैक्टर चोर गिरफ्तार, कब्जे से 01 चोरी का ट्रैक्टर, 01 तमंचा, 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर व 02 नाजायज चाकू बरामद

अवगत कराना है कि **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियन्त्रण एवं चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार गश्त व सघन चैकिंग की जा रही है**, इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 26.05.2024 की रात्रि में थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा चन्दपुर कायस्थ तिराहा पर चैकिंग की जा रही थी तभी मंगलौर की तरफ से एक ट्रैक्टर बडी तेजी से आता दिखाई दिया जिसको टार्च की रोशनी से रूकने का इशारा किया तो नजदीक आने पर पुलिस पार्टी को देखते ही ड्राईवर सीट की बराबर वाली सीट पर साईड में बैठे हुए व्यक्ति ने जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया, जिससे पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गये और इन लोगो ने अपना ट्रैक्टर और तेजी से भगा लिया। पुलिस टीम द्वारा अपने वाहन से ट्रैक्टर का पीछा किया तो अमरपुर नैन मौड पर कार को ट्रैक्टर के आगे लगाकर बुलन्द आवाज में रूकने को कहा और ट्रैक्टर को घेर कर रूकवा लिया। ट्रैक्टर पर बैठे तीनो व्यक्तियों ने भागने का प्रयास किया परन्तु भागने का मौका दिये बिना ही पुलिस पार्टी ने तीनो व्यक्तियों को ट्रैक्टर पर ही पकड लिया। जिनके नाम **1. शिवम पुत्र राजीव निवासी ग्राम खेडा जट्ट थाना मंगलौर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड 2.वीशु पुत्र मनोज कुमार निवासी ग्राम खेडा जट्ट थाना मंगलौर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड तथा 3. इन्द्रजीत पुत्र नाथीराम निवासी ग्राम दुगचाडी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** है। जिनके कब्जे से चोरी का ट्रैक्टर 575DI XP प्लस महेन्द्रा, 02 छुरी नाजायाज, 01 तमन्चा, 01 खोखा कारतूस फंसा हुआ तथा 01 जिन्दा कारतूस 315 बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना देवबन्द पर **मु0अ0सं0-262/24 धारा 307/411 भादवि व 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों से पूछताछ की गयी तो तीनों ने एक स्वर में बताया कि यह ट्रैक्टर हम तीनों ने दिनांक 24/25/-05-2024 रात्रि में शामली क्षेत्र के एक ईंट के भट्टे से चोरी किया था। जिसे हम आज रात में कही बेचकर ठिकाने लगाने वाले थे पुलिस को चैकिंग करते देख हम डर गये थे तो विशू ने पुलिस से बचने के लिये जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया था। ये तमंचा हम अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास रखते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. शिवम पुत्र राजीव निवासी ग्राम खेडा जट्ट थाना मंगलौर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड।
2. वीशु पुत्र मनोज कुमार निवासी ग्राम खेडा जट्ट थाना मंगलौर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड।
3. इन्द्रजीत पुत्र नाथीराम निवासी ग्राम दुगचाडी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 तमन्चा .315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 खोखा कारतूस 315 बोर
- 02 छुरी नाजायज बरामद
- 01 ट्रैक्टर 575DI XP प्लस महेन्द्रा लाल रंग

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगणः-

1. शिवम पुत्र राजीव निवासी ग्राम खेडा जट्ट थाना मंगलौर जिला हरिद्वार उत्तराखण्डः-

- मु0अ0सं0 29/23 धारा 379/411 भादवि थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
- मु0अ0सं0 31/23 धारा 414 भादवि थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
- मु0अ0सं0 304/23 धारा 354(घ) भादवि थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
- मु0अ0सं0 313/24 धारा 379 भादवि थाना को0नगर शामली

2. वीशु पुत्र मनोज कुमार निवासी ग्राम खेडा जट्ट थाना मंगलौर जिला हरिद्वार उत्तराखण्डः-

- मु0अ0सं029/23 धारा 379/411 भादवि थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
- मु0अ0सं0713/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
- मु0अ0सं0313/24 धारा 379 भादवि थाना को0नगर शामली
- मु0अ0सं012/23 धारा 379 भादवि थाना मंगलौर जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड

3 इन्द्रजीत पुत्र नाथीराम निवासी ग्राम दुगचाडी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुरः-

- मु0अ0सं0313/24 धारा 379 भादवि थाना को0नगर शामली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- प्र0नि0 संजीव कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2- उ0नि0 संजय कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
3- HC 902 गोविन्द सिंह थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
4- है0का0998 संदीप भाटी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
5- का016 पवन कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक- 27.05.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 24 पव्वे देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियन्त्रण, अवैध मादक पदार्थ / शराब की तस्करी की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 27.05.2024 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त शादाब पुत्र इसरार नि0 ग्राम फतेहपुर भादो थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर** को फतेहपुर भादो बिजली घर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से **24 पव्वे देशी शराब रसीला माल्टा हरियाणा मार्का** बरामद हुयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना फतेहपुर पर **मु0अ0सं0 102/24 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम** पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय समक्ष के पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –
शादाब पुत्र इसरार नि0 ग्राम फतेहपुर भादो थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण
24 पव्वे रसीला माल्टा मार्का हरियाणा मार्का।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-
मु0अ0सं0 638/20 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना फतेहपुर सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–
1. उ0नि0 सौरभ यादव थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 27.05.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा घर में घुसकर लूट करने वाले 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 जोडी पाजेब सफेद धातू व 01 तगडी पीली धातू बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 24.05.2024 को वादी धनलाल मिश्रा पुत्र त्रिवेणी प्रसाद निवास, ब्रजविहार कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.अमित पुत्र शिवकुमार 2.दीपक पुत्र विनोद निवासीगण दरियापुर थाना कलियर जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड तथा 3.अंकित पुत्र नेकीराम निवासी कपासी थाना नागल जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के घर में घुसकर लूट करने के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0-214/2024 धारा-392/452 भादवि पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिए, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना मण्डी श्री नेमचन्द सिहं के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 27.5.2024 को अभियुक्त **अंकित पुत्र नेकीराम निवासी कपासी थाना नागल जनपद सहारनपुर** को बेहट अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। अभियुक्त अमित पुत्र शिवकुमार निवासी दरियापुर थाना कलियर जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड को पुलिस द्वारा पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त अंकित उपरोक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 24.5.2024 को मै व मेरे दो अन्य साथी अमित व दीपक ब्रजविहार कालोनी मे एक घर मे घूसकर लूट की थी मेरे हिस्से मे जो पाजेब व तगडी आयी थी वह यही है जो पुलिस द्वारा मुझसे बरामद की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अंकित पुत्र नेकीराम निवासी कपासी थाना नागल जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 01 जोडी पैजेब सफेद धातू
- 01 तगडी पीली धातू

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 38/24 धारा 380/411 भा0द0वि0 थाना कुतुबशेर सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0-214/2024,धारा-392/452/411 भादवि थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 नरेन्द्र सोलंकी थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर।

2. है0का0 100 राहुल त्यागी थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर।
3. का0 2341 नितिन पवार थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 27.05.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा 01 जिलाबदर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु वांछित/वारण्टी/जिलाबदर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार श्री संतोष कुमांर त्यागी के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 27.05.24 को जिलाबदर अभियुक्त **शाहरुख पुत्र मझझन उर्फ रियासत नि0 मौहल्ला डेराईलाहीपुरा थाना सदर बाजार सहारनपुर** को डेराईलाहीपुरा से गिरफ्तार किया गया। अभि0 शाहरुख उपरोक्त को उ0प्र0 गुण्डा अधि0 की धारा 3 के अन्तर्गत माननीय न्यायलय द्वारा जनपद सहारनपुर की सीमाओ से छः माह लिए निष्कासित किया गया था। अभि0 शाहरुख जनपद सहारनपुर में मौजूद मिला अभि0 शाहरुख उपरोक्त का यह अपराध धारा 10 गुण्डा अधि0 की हद को पहुचंता है गिरफ्तार जिलाबदर अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शाहरुख पुत्र मझझन उर्फ रियासत नि0 मौहल्ला डेराईलाहीपुरा थाना सदर बाजार

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 369/23 धारा 379/411 भादवि थाना सदर बाजार
2. मु0अ0सं0 10/23 धारा 294 भादवि थाना सदर बाजार स0पुर
3. मु0अ0सं0 11/23 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना सदर बाजार स0पुर
4. मु0अ0सं0 40/22 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना सदर बाजार स0पुर
5. मु0अ0सं0 202/19 धारा 392/411/414 भादवि थाना सदर बाजार स0पुर
6. मु0अ0स0 300/24 धारा 10 गुण्डा अधिनियम थाना सदर बाजार सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. उ0नि0 देवेन्द्र अधाना थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. का0 1837 सचिन थाना सदर बाजार स0पुर
3. का0 1815 विशाल थाना सदर बाजार सहारनपुर

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 17-08-2023 को वादी प्रदीप कुमार पुत्र सोमा निवासी ग्राम उमरी खुर्द थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर द्वारा थाने पर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी पर जान से मारने की नियत से फायर करने से सम्बन्ध मे थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0सं0 247/2023 धारा 307 भादवि पंजीकृत कराया गया । दौराने विवेचना अभियुक्तगण **1.निखिल पुत्र मैनपाल निवासी ग्राम बाबूपुर नंगली थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर 2. आशू पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम लालवाला थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर 3. पुनित उर्फ कार्तिक निवासी ग्राम डेलना थाना झबरेडा जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड** के नाम प्रकाश में आये तथा साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में **धारा 34 व 506 भादवि** की बढोत्तरी की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे जनपद में अपराध नियन्त्रण, वांछित / वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारान के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 27.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त **निखिल पुत्र मैनपाल निवासी ग्राम बाबूपुर नंगली थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को गांव बाबूपुर नंगली से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त निखिल उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग प्रदीप के लडके शिवम को अपने गैंग में शामिल करना चाहते थे । प्रदीप अपने लडके को हमसे मिलने नही देता था । इसी बात को लेकर मै, पुनित उर्फ कार्तिक व आशु गुस्से में 17.08.2023 की रात्रि को ग्राम उमरी खुर्द गये थे और जान से मारने की नीयत से प्रदीप पर फायर कर दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

निखिल पुत्र मैनपाल निवासी ग्राम बाबूपुर नंगली थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 247/2023 धारा 307,34,506 भादवि थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 009/2019 धारा 308,323,504,506 भादवि थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 004/23 धारा 392,411,120 बी भादवि थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 006/2023 धारा 392,411 भादवि थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 079/2023 धारा 392,411,506 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना देवबन्द, सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 91/2023 धारा 147,148,149,307 भादवि थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 303/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.प्र0नि0 नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर
2.उ0नि0 जसबीर सिंह थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर

3.उ0नि0 राजेन्द्र सिंह थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर
4.का0 2049 ब्रिजेश कुमार थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 27.05.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ सहारनपुर पुलिस द्वारा 03 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, निशादेही पर चोरी की 02 मोटरसाइकिल व उपकरण बरामद

बरामदगीः-

- **01 मोटर साईकिल स्पलेन्डर**
- **01 मोटर साईकिल प्लेटिना**
- **04 मोटर साईकिलो के इंजन**
- **मोटर साईकिलो के अन्य पार्टस/पुर्जे**

अवगत कराना है कि **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियन्त्रण एवं वाहन चोरों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में** पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष बिहारीगढ के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 27.5.2024 को 03 शातिर वाहन चोर अभियुक्त **1.कोशर पुत्र कामिल 2.शहनवाज पुत्र नूरहसन तथा 3.अयान पुत्र इनाम निवासीगण ग्राम कुरडीखेडा थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर** को ग्राम कोठडी बहलोलपुर रोड पर मन्दिर के सामने से वाहनों की चैकिंग के दौरान गिरफ्तार किये गये। उनकी निशादेही पर चोरी की 02 मोटर साईकिल व 04 मोटर साईकिल के इंजन व मोटर साईकिल के अन्य पार्टस व पुर्जे को कोशर की मोटर साईकिल रिपयेरिंग की दुकान ग्राम कोठडी बहलोलपुर थाना बिहारीगढ से बरामद किये गये। बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगणो के विरुद्ध थाना बिहारीगढ पर मु0अ0सं0 85/24 धारा 411/414/420/482 भादवि पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछः- गिरफ्तार अभियुक्तगणों ने पूछताछ पर संयुक्त रूप से बताया कि हम तीनों कोशर पुत्र कामिल व शहनवाज पुत्र नूरहसन व अयान पुत्र इनाम, अपने उस्ताद के साथ मिलकर बिहारीगढ, चिलकाना, मिर्जापुर, फतेहपुर, बेहट व सहारनपुर शहर से रैकी करके अलग अलग जगहो से मोटर साईकिल चोरी करके उनके हिस्से पुर्जे अलग-अलग करके बाजार/राह चलते कबाडियो को बेच देते है और जो हमे पैसा मिलता है उसे आपस में बांट लेते है जिससे हम अपने शौक पूरे करते है। कोशर की मोटर साईकिल की रिपेयरिंग की दुकान कोठडी बहलोलपुर मे है वही पर हम मोटर साईकिलो को काटकर उनके पुर्जो को अलग करके बेच देते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. कोशर पुत्र कामिल निवासी ग्राम कुरडीखेडा थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
2. शहनवाज पुत्र नूरहसन निवासी ग्राम् कुरडीखेडा थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
3. अयान पुत्र इनाम निवासी ग्राम कुरडीखेडा थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरणः-

- बजाज प्लेटिना मो0 सा0 रजि0 नं0 UP11AJ8976 , चैसिस न0 MD2A18AZ6CRD69018
- स्प्लेन्डर प्लस मोटर साईकिल ब्लैक कलर रजि0 नं0 UP11BH7759, चेसिस नं0 MBLHAR086HHM51392 व इन्जन नं0 HA10AGHHMF6684
- 1 इन्जन नम्बर (1) PFYRKA46931 मय एक पैट्रोल टैंक व साईलेंसर व अन्य पुर्जे
- 1 इंजन नम्बर HA10AGKHKF2215 मय एक पैट्रोल टैंक व साईलेंसर व अन्य पुर्जे
- 1 इंजन नम्बर HA11EANHE36502 मय एक पैट्रोल टैंक व साईलेंसर व अन्य पुर्जे
- 1 इजंन नम्बर HA10EJFHA09750 मय एक पैट्रोल टैंक व साईलेंसर व अन्य पुर्जे
- 04 एलाय व्हील टायर सहित, 01 पैट्रोल टैंक प्लैटिना मो0सा0 की, 03 पैट्रोल टैंक हीरो मो0सा0 की, 03 मडगार्ड बैक लाईट सहित ,04 साईलेंसर ,04 मो0सा0 की सीट, 02 हैड लाइट, 03 मो0सा0 की बायर, 02 चैन, 13 फुट रैस्ट कैरियर सहित, 04 लैग गार्ड ,03 मडगार्ड बैक लाईट सहित,02 सीट कैरियर, 02 पिछले व्हील के झूले, 04 क्लच बायर, 01 चैन कवर,02 साइड स्टैण्ड, 02 टूल वाक्स, 03 फिल्टर वाक्स, 01 चैन अप, 01 वाईजर जाल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री विनित चौधरी थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री देवेश कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
4. है0का0 749 प्रदीप कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
5. का0 1377 रवि कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
6. का0 2565 उमेश कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
7. का0 2331 लवलेश राठी थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः- 27.05.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म का 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर भेजा जेल

अवगत कराना है कि दिनांक 25.04.2024 को वादिया ने उपस्थित थाना आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त **अरशद पुत्र आशिक निवासी मोहल्ला मिर्धान रायपुर रोड़ छप्पर वाली मस्जिद के पास कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर** द्वारा वादिया के घर मे घुसकर वादिया की नाबालिग यौन शोषण करने तथा अभियुक्त गण **1.नाहिद पत्नि आलम 2.सारिका पत्नी नाजिम 3.सोहेल पुत्र आशिक 4.श्रीमती बानो पत्नी आशिक निवासी मोहल्ला मिरधान रायपुर रोड़ छप्पर वाली मस्जिद के पास कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर** के द्वारा वादिया व वादिया के परिजनो को जान से मारने की धमकी देने के सम्बध की मे थाना सरसावा पर **मु0अ0स0 110/2024 धारा 376/452/506 भादवि** पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा मुकदमा उपरोक्त का संज्ञान लेकर मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक आदेश – निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व में थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त **अरशद उपरोक्त** को आज दिनांक 27.05.24 को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त का नाम व पताः-

अरशद पुत्र आशिक निवासी मोहल्ला मिर्धान रायपुर रोड़ छप्पर वाली मस्जिद के पास कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम

1.उ0नि0 रामबीर सिह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 रणवीर सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. म0है0का0 06 बबीता थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

दिनांक: 27-05-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा मुठभेड का वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियन्त्रण, वांछित / वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा रजवाहे से हासिमपुरा की तरफ जाने वाले रास्ते से 01 वांछित अभियुक्त **शहजाद पुत्र खुर्शीद निवासी मौहल्ला कायस्थवाडा मिश्रा कालोनी कस्बा थाना देवबंद जनपद सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। जिसकी जामा तलाशी से 01 तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। अभियुक्त शहजाद उपरोक्त दिनांक 18/12/2023 को थाना देवबन्द क्षेत्र में जंगल ग्राम दुगचाडा में हुई पुलिस मुठभेड का वाछिंत अभियुक्त था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त शहजाद उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 18/12/23 को ग्राम दुगचाडा के जंगल में जो घटना हुई थी उस घटना में मेरे अलावा युवराज उर्फ घोलू , टीनू उर्फ टोनी, शिवम जो मौके पर पकडे गये थे व नितिन व दिलनवाज बाद में पकडे गये थे। मै और भूरा मौके से भाग गये थे। हमने एक गैंग बाबा ग्रुप के नाम से बना रखा है हम अपने भौतिक व आर्थिक लाभ के लिये अवैध हथियार खरीदने व बेचने का काम करते है उस दिन हमने पुलिस पर फायरिंग की थी जिस तमन्चे से भूरा उर्फ इस्तेमाल ने फायरिंग की थी वह उसने मुझे दे दिया था , यह वही तमन्चा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

शहजाद पुत्र खुर्शीद निवासी मौहल्ला कायस्थवाडा मिश्रा कालोनी कस्बा थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

- 01 तमन्चा .315 बोर
- 01 कारतूस जिन्दा 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्र0नि0 संजीव कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 मनाजिर हुसैन थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
3. उ0नि0 राकेश पंवार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर